TO BE PUBLISHED IN PART-II, SECTION-3, SUB-SECTION(ii) OF THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY DATED THE 17TH DECEMBER, 1999.

Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
(Central Board of Direct Taxes)
****

New Delhi, the 17th December, 1999

Corrigendum

S.O.....(E).-In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue (Central Board of Direct Taxes), No.S.O.447(E), dated the 16th June, 1999, published at pages 1 and 2 in Part II, Section-3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, Extraordinary, dated the 16th June, 1999, at page 2, after line 34, insert -

"Footnote - The principle rules were published vide notification No.S.O.969(E), dated the 26th March, 1962 and subsequently amended vide notification No.S.O.446(E), dated the 16th June, 1999."

Notification No. 1173 /F.No.142/17/99-TPL

(Dr. Shikha Darbari)
Under Secretary to the Government of India

भारत के राजपत्र असाधारण भाग II, खण्ड-3,उपखंड (ii) में 17 दिसम्बर, 1999 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1999

शुद्धि-पत्र

का0आ0.....(अ) भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड-3, उप खंड (ii) में पृष्ठ 1 और 2 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 16 जून, 1999 की अधिसूचना सं0 का0आ0 444(अ) में पृष्ठ 2 पर पंक्ति 4 के बाद अन्त:स्थापित करें -

"पाद टिप्पणी - प्रमुख नियम दिनांक 26 मार्च, 1962 की अधिसूचना संख्या का0आ0 969 (अ) के तहत प्रकाशित किए गए थे तथा दिनांक 16 जून, 1999 की अधिसूचना संख्या का0आ0 446 (अ) के तहत तदनन्तर संशोधित किए गए थे ।"

अधिसूचना सं० 11173
फा0सं0 142/17/99-टी.पी.एल.

(डॉ0 शिखा दरबारी)
अवर सचिव, भारत सरकार